

दूसरा अध्याय: वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर/ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और नियम शासन स्तर पर सचिव द्वारा निर्मित एवं प्रशासित होते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है जिसकी सहायता हेतु वाणिज्यिक कर के चार अतिरिक्त आयुक्त, (अति.आ.) 12 उपायुक्त (उ.आ.) 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) होते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध सात उपायुक्त, 16 स.आ., 52 वा.क.अ., 67 स.वा.क.अ. और 93 वा.क.नि. विभाग में वर्तमान में कार्यरत हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 के दौरान हमने मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.), केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) और प्रवेश कर (प्र.क.) से संबंधित 52 ईकाईयों में से 24 ईकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों के एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की और कर के कम आरोपण और अन्य अनियमितताओं की सन्निहित राशि ₹ 20.21 करोड़ के 240 प्रकरणों को पाया जो कि निम्न श्रेणियों में तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवरोपण/अनारोपण	99	3.01
2	छूट/कटौती की त्रुटिपूर्ण प्रदाय	17	1.93
3	कर की त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	34	1.32
4	कर योग्य आवर्त का गलत निर्धारण	12	0.87
5	अन्य अनियमितताएँ	77	11.92
6	“प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण” पर वृहत् प्रारूप कंडिका	1	1.16
योग		240	20.21

वर्ष के दौरान विभाग ने कर योग्य आवर्त का गलत निर्धारण का ₹ 28,000 का एक प्रकरण स्वीकार किया। एक प्रकरण में ₹ 85,000 (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली की गई।

प्रारूप कंडिका के जारी होने के पश्चात विभाग ने ₹ 4.56 लाख की पूर्ण वसूली तीन प्रकरणों में की।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें वृहत् प्रारूप कंडिका “प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण” सम्मिलित कर ₹ 3.24 करोड़ के कमियों को पश्चावर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

2.3 गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदाय करना

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (छ.ग.मू.सं.क.) अधिनियम के धारा 13(1) के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची III (निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिये भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यय, फर्नीचर एवं फिक्श्चर जिसमें वातानुकूलन तथा प्रशीतक सम्मिलित है, पेट्रोल और डीजल और मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उसके पूर्ण तथा उपसाधन इत्यादि) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अनुसूची II के भाग I, II और IV में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात ऐसे माल का अनुसूची II विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिये उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिए या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर व्यवसाय के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपयोग के लिये क्रय करता है तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की छूट का दावा ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के भीतर जैसा कि विहित की जाए, करेगा या ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

हमने नवम्बर 2012 और अक्टूबर 2013 के दो सहायक आयुक्तों के 741 कर निर्धारण प्रकरणों में से 263 प्रकरणों के नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने दो प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा क्रय पर ₹ 27.26 लाख का अधिक/गलत आगत कर छूट प्रदाय (अप्रैल 2011 और अगस्त 2011) किया जो निम्न वर्णित है।

तालिका 2.2

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाईयों का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण माह व वर्ष)	देय आगत कर	प्रदाय आगत कर	प्रदाय अधिक आगत कर	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.-II, संभाग-I, बिलासपुर	2007-08 (अप्रैल 2011)	0	19.15	19.15	व्यवसायी ने सेवाएं प्रदाय करने के लिए कम्प्यूटर क्रय किया। किराया सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है अतः आगत कर छूट प्रदाय करना गलत है। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने पूंजीगत माल के क्रय पर आगत कर छूट प्रदान किया।
2	स.आ. वाणिज्यिक कर, रायपुर	2007-08 (अगस्त 2011)	0	8.11	8.11	व्यवसायी से प्रांत बाहर ₹ 12.14 करोड़ का फेरो-एलायज माल अंतरण किया था जो प्रांत के अंदर क्रय किये गये कच्चे माल से निर्मित था जो कि कुल विक्रय (₹ 43.95 करोड़) का 27.63 प्रतिशत था। चूंकि व्यवसायी ने कर चुके माल से निर्मित माल का अंतरण किया था अतः संगत आगत कर कम किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2014), शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि प्रकरणों को धारा 22 (1) में पुनः खोला जायेगा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.11 में समान तथ्य को उठाया गया था जिसमें शासन ने बताया कि तीन प्रकरणों में ₹ 1.02 करोड़ का मांग पत्र जारी किया गया। कमियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की राजस्व क्षति को रोक पाने में असमर्थता होने को दर्शाती है।

2.4 मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 8 वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का आरोपण को प्रावधानित करता है। परंतु जहाँ माल अनुसूची के किसी निर्दिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है उस पर अवशिष्ट प्रविष्टि में दर्शित कर की सामान्य दर लागू होगी। अनुसूची II भाग IV प्रविष्टि क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I (1 प्रतिशत) भाग II (4 प्रतिशत) और भाग III (25 प्रतिशत) में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है।

हमने फरवरी 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य 13¹ कर निर्धारण अधिकारियों के 16,593 कर निर्धारण प्रकरणों में से 3,945 प्रकरणों के नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण के दौरान मई 2010 से अगस्त 2012 के बीच संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों ने 26 प्रकरणों में मालों के गलत वर्गीकरण कर मूल्य संवर्धित कर के कम दर का आरोपण किया। करारोपणीय कर की दर और करारोपित कर की दर का अंतर चार से 12.5 प्रतिशत के मध्य था। इससे ₹ 1.64 करोड़ के कर कम/अवसूली हुई। (परिशिष्ट 2.1)

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छः प्रकरणों में ₹ 47.14 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है और शेष 20 प्रकरणों को अधिनियम के धारा 22(1) के अन्तर्गत पुनः खोला जाएगा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.12 को समान तथ्य को इंगित किया गया था जिसमें शासन ने बताया कि चार प्रकरणों में ₹ 40.56 लाख के मांग पत्र जारी किया गया था। जिसमें दो प्रकरणों में ₹ 14.07 लाख वसूला जा चुका है। व्याप्त कमियों/अनियमितताएँ की पुनरावृत्ति विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की राजस्व क्षति को रोक पाने में असमर्थता को दर्शाती है।

¹ स.आ. कोरबा, स.आ.-V, संभाग- II, रायपुर, स.आ. (टी.एल.ध्रुव), रायपुर, स.आ. संभाग-I, रायपुर, स.आ. (के.के.आर्या) रायपुर, स.आ.-IV, रायपुर, वा.क.अ.-II, बिलासपुर, वा.क.अ.-I, कोरबा, वा.क.अ.-I रायगढ़ और वा.क.अ.- II,IV,V और IX रायपुर।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम

2.5 गलत छूट प्रदाय किये जाने से कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम 1956 के धारा 8 सहपठित करारोपण विधान (संशोधन) अधिनियम, 2007 प्रभावी अप्रैल 2007 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा 'सी' फार्म समर्थित अंतरराज्यीय बिक्री तीन प्रतिशत की दर से करारोपणीय होगी। आगे शासन ने वैसे लघु उद्योग जिनका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ से कम हो, के द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत माल पर कर की दर एक प्रतिशत से कम किया।

हमने सहायक आयुक्त-I, संभाग-I, बिलासपुर के 213 कर निर्धारण प्रकरणों में से 104 प्रकरणों के नमूना जाँच के दौरान पाया (अप्रैल 2012) कि एक व्यवसायी जो रसायनों के निर्माण व बिक्री का व्यवसाय करता था, ने अवधि 2007-08 में 'सी' फार्म समर्थित राशि ₹ 13.90 करोड़ का विक्रय किया। कर निर्धारण के निराकरण (मार्च 2011) के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने लघु उद्योग मानते हुए दो प्रतिशत की दर से ₹ 27.25 लाख कर आरोपित किया। आगे चार्टर्ड एकाउण्टेंट के ऑडिट रिपोर्ट में हमने पाया कि कर निर्धारण के समय व्यवसायी का प्लांट व मशीनरी एक करोड़ से अधिक का था। अतः व्यवसायी रियायती दर के लिए पात्र नहीं था और तीन प्रतिशत की दर से ₹ 40.88 लाख आरोपणीय था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आडिट रिपोर्ट के अवलोकन में असफल होने से ₹ 13.63 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि प्रकरण धारा 22(1) में खोला जावेगा।

2.6 गलत कर की दर का आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी जो अंतरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में अघोषित माल की बिक्री बिना 'सी' फार्म के करता है तो वह उस माल को प्रांतीय बिक्री में प्रचलित दर से कर का दायी होगा। अनुसूची II भाग IV प्रविष्टी क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I, भाग II और भाग III में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है। फर्नीचर अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

हमने वा.क.अ.वृत्त-I, रायगढ़ के 3,068 के कर निर्धारण प्रकरणों में से 178 प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान पाया (मई 2013) कि एक व्यवसायी जो फर्नीचर के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करता था ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रांत के बाहर ₹ 36.82 लाख का फर्नीचर का बिक्री बिना 'सी' फार्म समर्थित की थी। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के कर निर्धारण करते समय (अगस्त 2011) चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.47 लाख का करारोपण किया। चूँकि फर्नीचर एक अवशिष्ट माल था अतः 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 4.60 लाख कर आरोपणीय था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से ₹ 3.13 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (मई 2014) पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹ 5.34 लाख का मांग पत्र जारी हुआ है। वसूली पर जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

2.7 प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण

2.7.1 प्रस्तावना

वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की अनुसूची I, II एवं III, में उल्लेखित दरों के अनुसार प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी है। विगत पाँच वर्षों में राज्य की कुल कर प्राप्ति के अनुपात में प्रवेश कर का सहभाग 5.64 और 8.50 प्रतिशत के मध्य था। छत्तीसगढ़, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, छत्तीसगढ़ राज्य प्रवेश कर अधिनियम के रूप में परिभाषित कर अंगीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर और अनुसूची में वर्णित किसी मात्रा का उपयोग, उपयोग करने हेतु किन्तु विक्रय हेतु नहीं, को स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनः छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4-अ के अनुसार किसी दूसरे माल के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित बड़े हुये दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के तहत व्यवसायी को कुछ निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर प्रवेश कर की देयता से छूट है। शासन द्वारा भी कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर अधिसूचनाओं द्वारा प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

2.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

हमने प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण हेतु विभाग के प्रवर्तन तंत्र और निहित प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु 52 कर निर्धारण अधिकारियों में से 10 उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारियों² के कर निर्धारण प्रकरणों का चयन सामान्य यादृच्छिक चयन के आधार पर किया। लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा के दौरान 2,643 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,936 प्रकरणों की जाँच की गई। प्रारूप प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2014 में प्रेषित किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन सितम्बर 2014 में हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग और विभाग की ओर से आयुक्त उपस्थित थे। बहिर्गमन सम्मेलन और अन्य रीति से प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

² उपायुक्त (मुख्यालय) रायपुर, स.आ.-III, दुर्ग, स.आ., रायगढ़, स.आ. (मुख्यालय) संभाग-I, रायपुर, स.आ.-I, संभाग-II, रायपुर, वा.क.अ.-II, दुर्ग, वा.क.अ.-II, कोरबा और वा.क.अ.-V, VII, VIII रायपुर।

2.7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा यह निर्धारित करने हेतु की गई थी कि:

- क्या अधिनियमों/नियमों/प्रक्रियाओं आदि में विहित प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी;
- क्या अधिनियमों एवं नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छूट/रियायत प्रदान की गई थी एवं
- क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए कर निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

2.7.4 लेखापरीक्षा मानदंड

वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नांकित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों का उपयोग लेखापरीक्षा मानदंड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976; और
- शासन/विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनायें/आदेश.

2.7.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

2.7.6 प्रवेश कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

प्रवेश कर से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ, राज्य की इस अवधि की कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर आधिक्य (+)/कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2009-10	560.00	605.65	45.65	8.15	7,123.25	8.50
2010-11	616.00	508.31	(-)107.69	(-)17.48	9,005.14	5.64
2011-12	700.00	823.75	123.75	17.68	10,712.25	7.69
2012-13	950.00	952.25	2.25	0.23	13,034.21	7.30
2013-14	1192.00	945.44	(-)246.54	(-)20.68	14,342.72	6.59

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 में वास्तविक प्राप्तियों में 17 प्रतिशत से अधिक अंतर था। वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 17.48 प्रतिशत से 20.68 प्रतिशत तक कम थी जबकि 2011-12 में 17.68 प्रतिशत अधिक

थी जो बजट अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने की कमी की ओर इंगित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) की बजट अनुमान और वास्तविक में भारी अंतर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करना तथा वस्तुओं के मूल्य में अस्थिरता के कारण है। पुनः भिलाई स्टील प्लांट का प्रवेश कर के भुगतान का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण भी अंतर है।

2.7.7 प्रवेश कर का बकाया

हमने विभाग (आयुक्त) से प्रवेश कर का बकाया का वर्षवार विवरण उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया था (अप्रैल 2014)। बहिर्गमन सम्मलेन (सितम्बर 2014) के दौरान भी शासन ने इसे 10 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु आश्वासित किया था। किन्तु वांछित विवरण अभी भी अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि प्रवेश कर के बकाया की वसूली समय पर किए जाने हेतु निगरानी तंत्र विभाग में नहीं है।

2.7.8 उद्योग विभाग से समन्वय का अभाव

सितम्बर 2005 की अधिसूचना क्रमांक 41 के अनुसार नयी औद्योगिक ईकाईयों को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट है। पुनः अधिसूचना के परिशिष्ट III (बी)(iii) के अनुसार छूट का लाभ लेने पर उत्पादन में भारी कमी स्वीकार्य नहीं है। भारी कमी से तात्पर्य यह है कि विगत पाँच वर्षों से समान उत्पाद का औसत उत्पादन या स्थापित क्षमता से 60 प्रतिशत तक जो भी कम हो।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योगों को कुछ निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन निश्चित अवधि हेतु देय है। उद्योग विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है और वाणिज्यिक कर विभाग प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

सहायक आयुक्त III, दुर्ग के 239 कर निर्धारण प्रकरणों में से 192 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी, जो कास्ट आयरन इंगोट मोल्ड, बेस प्लेट आदि का निर्माण एवं विक्रय करता था, को अप्रैल 2005 से अप्रैल 2010 तक नये उद्योग के रूप में प्रवेश कर के भुगतान हेतु छूट जारी (जून 2007) की गई थी। उद्योग की स्थापित क्षमता 9000 मी.ट. थी। पुनः उद्योग की बेलेन्स शीट की जाँच में पाया गया कि उद्योग का उत्पादन उसकी स्थापित क्षमता के अनुपात में 24.11 प्रतिशत से 33.16 प्रतिशत के मध्य था जो निम्नानुसार है।

तालिका 2.4

वर्ष	स्थापित क्षमता (मी.ट. में)	स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत (मी.ट. में)	वास्तविक उत्पादन (मी.ट. में)	उत्पादन का प्रतिशत
2005-06	9000	5400	2329.025	25.88
2006-07	9000	5400	2169.930	24.11
2007-08	9000	5400	2984.210	33.16

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ से ही निर्धारित प्रतिशत से काफी कम था। अतः परिशिष्ट III की शर्त iii (बी) के अनुसार कंपनी छूट हेतु पात्र नहीं थी। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण को उद्योग विभाग को प्रेषित करने के बजाय प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की (अगस्त 2011)। इस प्रकार उद्योग विभाग के साथ समन्वय के अभाव में न केवल प्रवेश कर के ₹ 8.92 लाख की छूट प्रदान की गई किन्तु उद्योग को अदेय लाभ भी दिया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) की सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.7.9 स्पष्ट प्रावधान न होना

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 4-अ सहपठित सितम्बर 2003 की अधिसूचना क्र. 84 के अनुसार हाइ स्पीड डीजल आइल, केरोसिन एवं सालवेंट, जिस पर मूल्य सवर्धित कर देय नहीं है, प्रवेश कर 25 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है। सहायक आयुक्त, रायगढ़ के 519 कर निर्धारण प्रकरणों में से 487 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी जो विस्फोटक का निर्माण करता था, का कर निर्धारण अप्रैल 2011 और नवम्बर 2013 में किया गया, ने वर्ष 2007-08 और 2009-10 में ₹ 36 लाख का ओर्गेनिक कम्पोजीट सालवेंट राज्य के बाहर से क्रय किया। अधिसूचना के अनुसार 25 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर ₹ 9 लाख आरोपणीय था। किन्तु अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था कि किस प्रकार का सालवेंट उपरोक्त दर से आरोपणीय है। अधिसूचना में स्पष्टता के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ने इसे केमिकल मानकर एक प्रतिशत की दर से ₹ 36,000 का कर आरोपित किया और शासन को ₹ 8.64 की प्राप्ति प्रवेश कर के रूप में नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिसूचना को देखकर प्रकरण का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

शासन राजस्व को दृष्टिगत रखकर स्पष्ट अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

2.7.10 प्रवेश कर की गलत दर का अनुप्रयोग

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 4-अ सहपठित अप्रैल 2003 की अधिसूचना क्र. 20 के अनुसार स्टील पाइप का उपयोग या उपभोग किसी दूसरे वस्तु के निर्माण में किए जाने पर पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त कोरबा के 768 कर निर्धारण प्रकरण जो सितम्बर 2008 से अप्रैल 2011 के मध्य निर्धारित किए गए थे में से 768 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि दो व्यवसायी जो मशीनरी पार्ट्स का निर्माण एवं कोल बेनेफिकेशन का कार्य करते थे, का दर निर्धारण मई 2013 में हुआ था उन्होंने अवधि 2005-06 से 2007-08 के दौरान क्रमशः ₹ 25.10 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़ का स्टील पाइप राज्य के बाहर से क्रय कर किसी दूसरे वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त किया। अप्रैल 2003 की अधिसूचना 20 के अनुसार प्रवेश कर ₹ 1.31 करोड़ आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 25.10 करोड़ के क्रय पर 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 62.75 लाख एवं ₹ 1.20 करोड़

की क्रय पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 1.20 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित दर के अनुसार प्रवेश कर आरोपित करने से असफल रहने के कारण ₹ 67.05 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि ₹ 67.53 लाख की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

2.7.11 प्रवेश कर का कम आरोपण/अनारोपण

2.7.11.1 मार्च 2006 की अधिसूचना क्रमांक 17 के अनुसार केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 के उपधारा (iv) की श्रेणी (iv) और (v), हुप्स एवं स्ट्रीप्स जो श्रेणी (vi) में सम्मिलित है, यदि इन का निर्माण राज्य में स्थित री-रोलिंग मिल्स द्वारा किया गया है तो प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

सहायक आयुक्त III दुर्ग के 239 कर निर्धारण प्रकरणों में से 192 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी जो आइरन एवं स्टील का क्रय विक्रय करता था ने ₹ 2.49 करोड़ के वेस्ट एवं स्क्रैप, कटिंग, प्लेट मिल्स एवं शियरिंग का क्रय स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किया। चुँकी यह वस्तुएँ केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 की उपधारा IV की श्रेणी (i) और (xiv) में वर्णित है, 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर 3.74 लाख आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे री-रोलिंग उत्पाद मानकर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुरूप कार्य न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 3.74 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा के अनुसार प्रकरण को पुनः खोला जावेगा और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.7.11.2 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची II में वर्णित माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनः जो माल अनुसूची I और II में सम्मिलित नहीं है उसे अनुसूची III के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। प्रविष्टि क्रमांक 27(बी), 29, 35 और 54 के अनुसार ईटा, बालू, एयर कंडीशनर एवं मशीनरी पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। पैकिंग मटेरियल और दरवाजे एवं खिडकियाँ अनुसूची III में सम्मिलित है।

उपायुक्त रायपुर के 270 कर निर्धारण प्रकरणों में से 150 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि एक व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची II एवं III में उल्लेखित ₹ 9.64 करोड़ के माल का क्रय कर उपयोग किया। अधिनियम के अनुसार, एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर ₹ 9.64 लाख आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बगैर किसी आधार के ₹ 5.20 लाख का प्रवेश कर आरोपित (जनवरी 2012) किया, जिसके फलस्वरूप प्रवेश कर ₹ 4.44 लाख का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट 2.2)।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार प्रकरण को पुनः खोला जावेगा।

2.7.11.3 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची II में वर्णित माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

आठ कर निर्धारण अधिकारियों³ के 3,117 कर निर्धारण प्रकरणों में से 2,074 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि 20 प्रकरणों में दिसम्बर 2009 और नवम्बर 2013 के मध्य निर्धारित करते समय संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 16.20 करोड़ के माल का गलत वर्गीकरण कर कम दर से प्रवेश कर का आरोपण किया। आरोपणीय एवं आरोपित की गई दर में अंतर 0.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक था। इसके परिणामस्वरूप 19.99 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट 2.3)।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि दो प्रकरण धारा 22 (1) के तहत पुनः खोले गए हैं तथा 17 प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी। शेष एक प्रकरण में कहा कि, पास पास एक माउथ फ्रेशनर है और उसमें सुपारी या कत्था नहीं होने से उसे पान मसाला नहीं माना जा सकता। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पास पास के पकेट पर 'माउथ फ्रेशनर विथ कत्था' लिखा है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसमें कत्था एक घटक है।

2.7.11.4 छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976 की धारा 3 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में उपयोग, उपभोग या विक्रय हेतु अनुसूची III में वर्णित माल को उपभोग या उपयोग करने हेतु किन्तु विक्रय करने के लिए नहीं, का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

चार कर निर्धारण अधिकारियों⁴ के 572 कर निर्धारण प्रकरणों में से 408 प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने देखा कि 10 प्रकरणों में अगस्त 2011 से अक्टूबर 2013 के मध्य निर्धारित करते समय संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 12.78 करोड़ के माल का गलत वर्गीकरण कर कम दर से प्रवेश कर का आरोपण किया। आरोपणीय एवं आरोपित की गई दर में अंतर 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.78 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट 2.4)।

बर्हिगर्मन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि सात प्रकरणों को धारा 22 (1) के तहत पुनः खोला गया है। तथा शेष तीन प्रकरणों में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

³ उपायुक्त (मुख्यालय) संभाग-I, रायपुर, स.आ.-II, दुर्ग, स.आ., कोरबा, स.आ. रायगढ़, स.आ.-I, संभाग-II, रायपुर, वा.क.अ., अंबिकापुर, वा.क.अ. -II, दुर्ग और वा.क.अ.-V रायपुर।

⁴ उपायुक्त (मुख्यालय) संभाग-II, रायपुर, स.आ. रायगढ़, स.आ.-I, संभाग-I, रायपुर, और स.आ. (मुख्यालय) संभाग-II, रायपुर।

2.7.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा (आ.ले.प.) विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रमुख घटक है और इसे सामान्यतः समस्त नियंत्रणों पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निहित प्रणालियाँ समुचित रूप से कार्यरत हैं। किन्तु हमने देखा कि विभाग में आ.ले.प. कार्यरत नहीं था जिससे राजस्व की क्षति को रोका जा सके।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2014) कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन शीघ्र किया जावेगा।

शासन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन शीघ्र करने पर विचार कर सकता है।

2.7.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन एवं प्रणाली की कई कामिया देखी जिसमें अधिनियम/अनुसूची की प्रविष्टि और अधिसूचना में स्पष्टता के अभाव के कारण राजस्व की क्षति हुई जिसकी चर्चा उपरोक्त कंडिकाओं में की गई है और इस ओर शासन/विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि:

- उद्योग विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग में समन्वय के अभाव में प्रवेश कर के भुगतान से अनियमित छूट प्रदान की गई।
- अधिसूचना में सालवेंट के प्रकार से संबंधित स्पष्टीकरण नहीं होने से प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ और
- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिनियम/अनुसूची के प्रविष्टि के अनुसार निर्धारण किए जाने पर निगरानी रखने में असफल रहा।